



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III —Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]
No. 79]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2015/फाल्गुन 21, 1936
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2015/PHALGUNA 21, 1936

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2015

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ण) और खंड (फ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 है।

विनियमों का उद्देश्य, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड की नियुक्ति अधिकृति करना और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के उपखंड (ख) के अधीन पेंशन स्कीमों के लिए तथा उनकी भूमिका और दायित्व को तथा अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए ऐसे न्यास द्वारा अन्य मध्यवर्तियों के कार्यकलापों के संबंध में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कृत्यों को परिभाषित करना है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा— (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;

(ख) "संपरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन किसी कंपनी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए अर्हित है;

(ग) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(घ) "अनुपालन अधिकारी" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उस रूप में पदाभिहित और अधिनियम या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या उसके द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों या अनुदेशों की अपेक्षाओं का उसके द्वारा अनुपालन किए जाने को मानीटर करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ङ) "प्रभारों" के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा मध्यवर्तियों को संदेय ऐसे प्रभार और कोई अन्य उद्ग्रहण सम्मिलित हैं जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं ;

(च) "विनिधान संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों" से प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञेय आस्ति वर्गों, अनुज्ञेय विनिधान और संकेन्द्रण सीमाओं के संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत और परिपत्र अभिप्रेत हैं ;

(छ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपावद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "न्यासियों" से समय-समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए नियुक्त न्यासी बोर्ड या इन विनियमों के अंतर्गत अन्य पेंशन स्कीमों के संबंध में नियुक्त न्यासी अभिप्रेत हैं ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का गठन और प्रबंधन तथा न्यासियों की नियुक्ति

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की स्थापना—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम से ज्ञात एक न्यास की स्थापना की जाएगी और न्यास की लिखत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत एक न्यास विलेख के रूप में होगी, जो ऐसी लिखत में नामित न्यासियों के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाएगी । न्यासियों के पक्ष में निष्पादित न्यास विलेख को अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन मध्यवर्तियों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रदत्त रजिस्ट्रेशन के रूप में समझा जाएगा ।

4. न्यास विलेख की अन्तर्वस्तुएं—(1) न्यास विलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां और निर्देशात्मक अन्तर्वस्तुएं अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) न्यास की पृष्ठभूमि या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावना—जिसमें अभिदाताओं के अधिकारों और रीति, जिसमें ये अधिकार न्यासियों में निहित होंगे और व्यवस्थापक और न्यासियों की विशिष्टियों, जिसके अंतर्गत न्यासियों की संख्या भी है, के बारे में कथन होगा ;

(ख) न्यासी बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ;

(ग) न्यासी बोर्ड के कर्तव्य और दायित्व ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यास विलेख में निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

(क) न्यासी बोर्ड के कब्जे में की महत्वपूर्ण सूचना को तीसरे पक्ष से गोपनीय बनाए रखने के संबंध में बोर्ड का दायित्व ;

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन मध्यवर्तियों को लागू विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मध्यवर्तियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बाबत न्यासी बोर्ड का दायित्व ;

(ग) ऐसे उपबंध, जिनका सभी न्यासियों से, ऐसे हित की विशिष्टियों के बारे में, जो किसी अन्य कंपनी या संस्था में या किसी निगमित निकाय में निदेशक, भागीदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत में उनकी प्रास्तिकी के आधार पर उनकी हैं, प्रकट करना अपेक्षित है ;

(घ) अन्य ऐसी कंपनियों या संस्थानों या मध्यवर्तियों अथवा किसी संस्थाओं के साथ, जिसके साथ वह सहवद्ध हो सकता है या हो सकती है, असन्निकट संबंध बनाए रखना ;

(ङ) इस प्रभाव के उपबंध से कि कोई न्यासी, न्यासी बोर्ड की बैठकों में तब भाग नहीं लेगा जब उसमें कोई ऐसा विनिश्चय किया जाता है जिसमें उसका कोई फायदाप्रद हित हो सकता है ;

(च) न्यासी बोर्ड का, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की आस्तियों पर या यदि प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित किसी अन्य पेंशन स्कीम में प्रभावशाली नियंत्रण होगा ;

(छ) अभिदाताओं का, न्यास की आस्तियों में, अभिदत्त स्कीमों में उनकी व्यक्ति धृति के विस्तार तक, फायदाप्रद हित सीमित होगा;

(ज) इस प्रभाव के उपबंध कि न्यासी बोर्ड, सभी समयों पर अभिदाताओं के हित में कार्य करेगा और अभिदाताओं को ऐसी सूचना को अपवर्जित करते हुए जो वाणिज्यिक महत्व या गोपनीय प्रकृति की हो, अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाएगा ;

(झ) न्यासी बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को, अधिनियम, नियमों और विनियमों के ऐसे उल्लंघन के लिए, जो उसकी जानकारी में आते हैं, किसी मध्यवर्ती के विरुद्ध उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश करना ;

(ञ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों या परिपत्रों के उपबंधों के अनुसार सभी मध्यवर्तियों के, जिसके अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालय और संचयनों के संग्रहण, प्रबंध और अभिलेख पालन तथा वितरण से संबंधित ऐसे अन्य संस्था या

व्यक्ति भी है, सभी कार्यचालन संबंधी और सेवा स्तरीय कार्यकलापों को मानिटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ट) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर अभिदाताओं द्वारा किए गए दावों को प्राप्त करने, उनका प्रक्रमण और निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य मध्यवर्ती को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासीपर अभिदाताओं द्वारा किए गए ऐसे दावों को प्राप्त करने और उनका प्रक्रमण करने के कार्यकलाप प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(ठ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, सभी मध्यवर्तियों की संक्रियाओं का समन्वय करने के लिए नोडल बिंदु होगा;

(ड) किसी असीमित दायित्व की या ऐसे दायित्व की, जिसका परिणाम न्यासी बोर्ड में किसी भी रूप में निहित सम्पत्ति का विलंगण होगा, ऐसी धारणा का सुस्पष्ट निषेध;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करना कि सभी मामलों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी को हटाए जाने का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा;

(ण) न्यासी बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति और संख्या को विनिर्दिष्ट करने वाले उपबंध;

(त) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित आस्तियों पर शोध्य किसी आय के संग्रहण का और कर के प्रतिसंदाय और न्यास विलेख तथा विनियमों के अनुसार धारकों के न्यास में प्राप्त किसी आय के संकलन का पर्यवेक्षण करने का न्यासी बोर्ड का दायित्व;

(थ) न्यासियों को फीस संदाय संबंधी निवंधनों के लिए उपबंध;

(द) इस प्रभाव के उपबंध कि जब कभी प्राधिकरण द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, न्यास विलेख में संशोधन किया जाएगा;

(ध) न्यास विलेख में ऐसा कोई खंड अंतर्विष्ट नहीं होगा, जिसका आशय,--

(i) अधिनियम के अधीन अभिदाताओं के संबंध में न्यासी की बाध्यताओं और दायित्वों को सीमित करने या निर्वापित करने का है; या

(ii) न्यासियों के उपेक्षापूर्ण कार्यों या उनके द्वारा किए गए कार्यों या उनके लोप के कारण अभिदाताओं को कारित हानि या नुकसान के लिए न्यासियों की क्षतिपूर्ति करने का है।

5. न्यासियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता—(1) प्राधिकरण, इन विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बोर्ड के लिए न्यासियों की नियुक्ति करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के न्यासी के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा या होगी, जब,--

(क) वह भारत का नागरिक हो;

(ख) वह योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो;

(ग) उसे नैतिक अधमता का दोषी न पाया गया हो;

(घ) उसे किसी आर्थिक अपराध का या किसी प्रतिभूति विधि के उल्लंघन करने के लिए दोषी न ठहराया गया हो;

(ङ) वह विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकर्म या समाज कल्याण या प्रशासन में समुचित रूप से अर्हित हो तथा प्रबंधन कौशल, अनुभव, क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो;

(च) आयु सीमा रहित कोई अन्य अर्हताएं या निवंधन और शर्तें, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, भी हैं; और

(छ) उसके द्वारा अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियां दे दी गई हों।

(3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई मध्यवर्ती या प्रायोजक या, ऐसे मध्यवर्ती का कोई निदेशक (स्वतंत्र निदेशक से भिन्न), अधिकारी या कर्मचारी या प्रायोजक न्यास के न्यासी के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाता है, किसी अन्य पेंशन न्यास के न्यासी के रूप में या प्राधिकरण या उसके प्रायोजक के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी मध्यवर्ती के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा।

6. न्यासी के पद की समाप्ति—किसी न्यासी के पद को रिक्त माना जाएगा, यदि,—

(i) उसकी मृत्यु हो जाती है;

(ii) वह त्यागपत्र दे देता है या दे देती है;

(iii) वह पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है या हो जाती है जिसके आधार पर उसे न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया था;

(iv) वह उन्मुक्त हो गया है या हो गई है;

- (v) वह शोध्य अक्षम या दिवालिया हो गया है या हो गई है;
- (vi) वह बीमार होने के कारण कार्य करने के लिए दुर्बल या असक्षम हो गया है या हो गई है;
- (vii) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;
- (viii) वह अनुपस्थित रहने की इजाजत अभिप्राप्त किए बिना न्यास की लगातार दो बैठकों में उपस्थित नहीं होता है; या हालांकि यह प्राधिकरण द्वारा सक्षम लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के साथ प्राधिकरण की इच्छा पर क्षमा योग्य है।
- (ix) प्राधिकरण की राय में ऐसा कोई अन्य आधार, जो ऐसे हटाए जाने का समुचित आधार हो।

7. न्यासियों की पदावधि—(1) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक न्यासी की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जो, यदि प्राधिकरण उचित समझे, दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(2) कोई न्यासी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी के रूप में अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से न्यासी के रूप में पांच वर्ष की कुल अवधि पूरी होने के पश्चात् न्यासी के पद पर बना नहीं रहेगा या रहेगी अथवा न्यासी के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा या होगी।

8. न्यासी का त्यागपत्र और हटाया जाना—(1) कोई न्यासी, प्राधिकरण को संबोधित करते हुए लिखित में अपने हस्ताक्षर से तीस दिन की सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा या सकेगी। न्यासी का पद, उस तारीख से, जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, रिक्त हो जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उसे भारमुक्त कर दिया जाएगा। यदि कोई न्यासी, जिसने त्यागपत्र दिया है, अपना त्यागपत्र देने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक न्यासी के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(2) उप विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण को किसी न्यासी को हटाए जाने का अधिकार होगा और ऐसा हटाया जाना लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के अनुसरण में होगा।

(3) प्राधिकरण को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अधीन किसी रिक्तियों को, जब कभी वह उत्पन्न हो, भरने की शक्ति होगी। किन्हीं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान, विद्यमान न्यासी बोर्ड को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से कार्य करने की शक्ति होगी। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि न्यासियों की संख्या, किसी निश्चित समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट न्यासियों की न्यूनतम संख्या से कम न हो।

अध्याय 3

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्य, प्रबंधन और न्यासियों के अधिकार, बाध्यताएं, शक्तियां और दायित्व

9. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्य—(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आस्तियों और निधियों की अभिदाताओं के हित में देखभाल करने के लिए और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सभी परिचालनात्मक और सेवा स्तरीय कार्यकलापों को मानिटर करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया है। प्राधिकरण, समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करके यह निदेश दे सकेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य पेंशन स्कीम के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जो अभिदाताओं के हित में आवश्यक समझे जाएं।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से तथा उसके नाम से प्रत्येक पेंशन निधि द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियां, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अभिरक्षक खाते में धारित की जाएंगी।

(3) व्यक्तिगत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाताओं द्वारा किए गए अभिदायों का उपयोग करके क्रय की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आस्तियों के फायदाप्रद स्वामी होंगे।

(4) आस्तियों में नकद, प्रतिभूतियां और ऐसी अन्य लिखते समाविष्ट होंगी, जो प्राधिकरण द्वारा जारी विनिधान संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाएं और वह अभिदाताओं की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम से धारित की जाएंगी।

10. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यासका प्रबंधन—(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का प्रबंधन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो कम से कम पांच और ग्राहक से अनधिक उतने न्यासियों से मिलकर बनेगा, जितने प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाएं।

(2) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यासियों में से एक न्यासी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास कर अध्यक्ष न्यासी बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यासी बोर्ड की किसी बैठक में यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो न्यासियों में से एक न्यासी उस बैठक की अध्यक्षता करेगा, परंतु बैठक के संचालन के लिए कम से कम चार न्यासियों की अपेक्षित गणपूर्ति होनी चाहिए। न्यासी बोर्ड, प्राधिकरण को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अध्यक्ष को हटाए जाने की सिफारिश कर सकेगा।

(3) जहां किसी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए नियुक्त न्यासियों की संख्या आठ से कम रह जाती है, वहां न्यासी बोर्ड की किसी बैठक में कारबार के संब्यवहार के लिए तीन न्यासियों से गणपूर्ति का गठन होगा।

(4) ऐसे सभी विषयों का विनिश्चय, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष रखे जाते हैं, उपस्थित और मत देने वाले न्यासियों द्वारा बहुमत से किया जाएगा और बराबर मत होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में किसी ऐसे न्यासी का, जिसे उस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया है, निर्णयिक मत होगा।

(5) प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे न्यास का न्यासी नहीं होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपयुक्त रूप से अर्हित होगा जिसके पास निधि प्रबंधन, वित्त विधि, अर्थशास्त्र या किसी अन्य ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसे पद के लिए सुरांगत समझी जाए, पर्याप्त शिक्षा और अनुभव हो। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए उत्तरदायी होगा। न्यास के कार्यकलापों के निर्वहन में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के कर्मचारिवृद्ध द्वारा उसकी मदद और सहायता की जाएगी और वह अपने कृत्यों के निर्वहन में न्यासी बोर्ड द्वारा मार्गदर्शित होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए और न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो विनियम 41 के अधीन प्रत्यायोजित की जाए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए प्रतिकर का अवधारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त जो अवधारित किया जाए, पूरा किया जाएगा।

(6) न्यासी बोर्ड के किसी विनिश्चय को केवल इस आधार पर निष्प्रभावी नहीं समझा जाएगा कि न्यासी बोर्ड में कोई रिक्त विद्यमान है या उसके गठन में कोई कमी या अनियमितता है।

(7) न्यासी बोर्ड का प्रत्येक न्यासी, किसी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर वार्षिक आधार पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को और प्राधिकरण को अपने ऐसे हितप्रद और तात्त्विक हित का विवरण प्रस्तुत करेगा या करेगी, जो निदेशक, भागीदार, स्वत्वधारी, कर्मचारी के रूप में उसकी प्राप्तिका के आधार पर या किसी अन्य हैसियत में किसी अन्य कंपनी या संस्था अथवा निगमित निकाय में उसका है।

11. न्यासी बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—(1) अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड का न्यास और निधियों पर विधिक स्वामित्व होगा और इसलिए न्यास के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन तथा न्यास के प्रयोजन से संलग्न या उसके आनुषंगिक सभी शक्तियां, प्राधिकार और विवेकाधिकार अत्यान्तिक रूप से न्यासी बोर्ड में निहित होंगे :

परंतु फायदाप्रद हित सदैव राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के हिताधिकारियों में निहित होंगे ।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का प्रबंध करने और प्रशासन के लिए न्यास बोर्ड की शक्तियां और कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यासी बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होगी,--

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने किसी व्यक्ति या व्यक्तिसंगठन, संस्थाओं या न्यास (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक वैंकों, वित्तीय संस्थाएं, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संगठनों, स्वायत्त संगठन, कानूनी निकाय या ऐसे ही अन्य अस्तित्व भी हैं) से अनुदान, नकद या वस्तु के रूप में अभिदाय स्वीकार करना :

परंतु जहां अनुदान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न है, वहां प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे अनुदान से कोई अनुदान स्वीकार नहीं किए जाएंगे ;

(ii) किसी व्यक्ति, वाणिज्यिक वैंकों, वित्तीय संस्थाओं, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दाताओं, स्वायत्त संगठनों, कानूनी निकायों, संस्था या सरकारी या वैसे ही अन्य निकायों से, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की किन्ती आस्तियों के किसी प्रकार के विलंगमों के बिना और प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों या किन्ती निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए कोई ऋण उधार लेना ;

(iii) न्यास या न्यासी बोर्ड की ओर से न्यासी बोर्ड द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट न्यासियों में से किसी एक न्यासी के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में न्यासी बोर्ड द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो न्यासियों द्वारा किसी कागज-पत्र हस्ताक्षर के लिए या हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए व्यवस्था करना और यदि उक्त कागज-पत्र हस्ताक्षर के लिए या हस्ताक्षर करने के लिए व्यवस्था करना और यदि उक्त कागज-पत्र पर सभी न्यासियों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो उसे प्रभावी और वाध्यकर बनाना ;

(iv) विनिर्दिष्ट उद्देश्यों, स्कीम या स्कीमों अथवा कृत्यों का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो न्यासी बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, पालन करने या उनका पर्यवेक्षण करने अथवा संचालन करने के लिए न्यासियों या अन्य व्यक्तियों की उप समिति नियुक्त करना या उसकी नियुक्ति के लिए उपबंध करना ;

(v) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की किसी आस्ति या किसी निधि अथवा किसी विनिधान को धारण करने के लिए, इन विनियमों के निबंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीतियों, निबंधनों और शर्तों के भी अधीन रहते हुए, जो न्यासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, न्यासी बोर्ड के एक या अधिक न्यासियों को प्राधिकृत करना :

परंतु फायदाप्रद हित सदैव राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के हिताधिकारियों में निहित होंगे ;

(vi) न्यास के कृत्यों के क्रियान्वयन या प्रशासन के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृद्धों को नियुक्त करना तथा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से उनके बेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित करना ;

(vii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की संपत्ति की सुरक्षाके लिए और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास तथा उसके हिताधिकारियों के हितों की संरक्षण के लिए वकील, सालिसिटर, सनदीलेखाकार, परामर्शियों, सलाहकारों या किसी अन्य वृत्तिक व्यक्ति को नियुक्त करना ;

(viii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्यों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट संबंधी उपबंधों के भीतर पूरा करने के लिए उसकी स्कीम या स्कीमों को अग्रसर करने में प्रचार, प्रसारण, बैठकों, गोष्ठियों, यात्रायों, अध्ययन, परामर्श पर या वैसे ही अन्य क्रियाकलापों पर व्यय उपगत करना ;

(ix) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ सहवद्ध या संबंधित उद्देश्यों वाले किसी अन्य न्यास को जोड़ना, सहकार करना, सम्मिलित करना ;

(x) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की किन्हीं आस्तियों या संपत्ति के अभिरक्षक क्रियाकलापों को मानिटर करना तथा उसे समुदेशित न करने, अंतरित न करने, बंधक न रखने, गिरवी न रखने, उधार न देने या उससे अन्यथा उसका व्ययन न करने संबंधी अनुदेश जारी करना ;

(xi) सभी मध्यवर्तियों की प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों को मानीटर और संपरीक्षा करना तथा उनसे कोई सूचना या रिपोर्ट मांगना तथा हिताधिकारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए अनुदेश जारी करना ;

(xii) प्रत्येक पेंशन निधि की स्कीम संपरीक्षकों का पैनल नियुक्त करना । न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों से नियमित अंतरालों पर अंतरिम संपरीक्षा रिपोर्ट भी अभिप्राप्त करेगा । न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक की रिपोर्टों और मध्यवर्तियों की आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टों या अनुपालन रिपोर्टों पर समुचित कार्रवाई के लिए न्यासी बोर्ड की बैठकों में विचार किया जाएगा ;

(xiii) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधानों में तथा विनिर्दिष्ट अवधि या अवधियों के भीतर पेंशन निधियों, उपस्थिति अस्तित्व, संकलनकर्ताओं, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरणों और अन्य मध्यवर्तियों से नियमित अंतरालों पर अनुपालन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना और प्राधिकरण को विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(xiv) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या न्यासियों के लिए या उनकी ओर से या उनके नाम से किन्हीं न्यायिक कार्यवाहियों को संस्थित करना, उनका संचालन करना, प्रशमन करना या वापस लेना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या न्यासियों या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के किन्हीं अधिकारियों या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा करना, प्रशमन या उससे अन्यथा कार्रवाई करना ; राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा या उसके विरुद्ध देय किसी क्रृति का संदाय भी करना या किसी दावे या मांग को चुकाना और किन्हीं मतभेदों को माध्यस्थम के लिए भी निर्दिष्ट करना और उसके किसी निर्णय का भी पालन करना और उसे पूरा करना । इस प्रयोजन के लिए एक साथ कार्य करने वाले न्यासी, यथास्थिति, न्यासियों में से किसी न्यासी को या न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्राधिकार प्रदत्त कर सकेंगे ;

(xv) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को संदेय धनराशि के लिए तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के दावों और मांगों के लिए रसीदें बनाना और देना तथा उसका निर्माचन और अन्य उन्मोचन करना ;

(xvi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रशासन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की संपत्ति के प्रबंध और अनुरक्षण ; अभिरक्षकों की फीस, प्रबंध तंत्र की फीस तथा किसी अन्य फीस के आनुषंगिक सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का, जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, संदाय करना ;

(xvii) मध्यवर्तियों को ऐसी फीस या प्रभारों के, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं, संदाय का अनुमोदन करना ;

(xviii) प्राधिकरण से अनुमोदन के पश्चात्, न्यासियों को, सद्वाव पूर्वक कर गई उनकी सद्वावी कार्रवाइयों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए किसी भारतीय वीमा कंपनी से न्यासियों के लिए उपयुक्त क्षतिपूर्ति पालिसी की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासियों के रूप में कार्रवाई करते समय न्यासियों और उसके अधिकारियों को, उनकी सद्वावी कार्रवाइयों से उद्भूत किसी विवाद या विधिक कार्यवाहियों की दशा में विधिक और अन्य सहायता प्रदान कर सकेंगा ;

(xix) ऐसी सभी बातें करना, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उसके प्रबंधन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक समझी जाए ।

12. न्यासी बोर्ड की बाध्यताएं, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां—न्यासी बोर्ड, यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है तो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अधिनियम के अधीन विनियमित किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन प्रचालन और सेवा स्तरीय कृत्यों को मानिटर करने के लिए उत्तरदायी होगा । राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के कर्तव्य की परिधि में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता को बाहर आने संबंधी कार्यकलाप, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार अभिदाताओं की शिकायतों को दूर करना सम्मिलित है और विशिष्टतया न्यासी बोर्ड की निम्नलिखित बाध्यताएं, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां और दायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) न्यासी बोर्ड (जिसे इसके पश्चात् वह कहा गया है) अभिदाता के साथ अपने नाम से व्यष्टि पेंशन लेखा [अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में यथापरिभाषित] निष्पादित करेगा ;

(ख) वह प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षित स्कीम वित्तों, आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टों के, निरीक्षण, अनुपालन संबंधी रिपोर्टों का अनुमोदन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो मध्यवर्तियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तुत की जाए । ऐसी अनुमोदित स्कीम और रिपोर्ट, उनके द्वारा किए गए विशेषणों और सिफारिशों, यदि कोई हों, के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी :

परंतु सिफारिशें किसी भी रीति से प्राधिकरण पर बाध्यकर नहीं होंगी ;

(ग) यह केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उपलब्ध आस्तियों और प्रवाहित निधियों के विस्तार तक उत्तरदायी होगा ;

(घ) कोई न्यासी किसी अन्य न्यासी के कार्य, लोप, व्यतिक्रम के लिए या उसकी ओर से किए गए सद्व्यवहारी निर्णय में हुई किसी त्रुटि के कारण या किसी प्रकार की कोई अन्य हानि या नुकसानी, जो न्यासी के रूप में उसके कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में घटित हुआ हो, तब तक जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह न्यासी की ओर से जानवृज्ञकर किया गया कार्य या उपेक्षापूर्ण लोप न हो इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यासियों को सद्व्यवहारी निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वे उसे करने में पर्याप्त तत्परता और इमानदारी से करते हैं ;

(ङ) न्यासियों को, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा न्यासियों को प्रदत्त सभी क्षतिपूर्तियों का फायदा मिलेगा;

(च) अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने का उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य मध्यवर्तियों, कंपनियों या संस्थाओं अथवा निगमित निकायों के साथ, जो न्यासियों से सहवद्ध हैं, आसन्निकट संबंधों को बनाए रखना ;

(छ) न्यास की ऐसी संपत्ति को, जो मध्यवर्तियों द्वारा न्यास में धारित है, के हिताधिकारियों के लिए अपनी अभिरक्षा में और अपने नियंत्रणाधीन रखने संबंधी कर्तव्य का निर्वहन ;

(ज) सदैव हिताधिकारियों के हित में कार्य करने संबंधी कर्तव्य का निर्वहन;

(झ) हिताधिकारियों को और प्राधिकरण को ऐसी सूचना देने या सूचना उपलब्ध करवाने सबधी कर्तव्य, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो ;

(ञ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित आस्तियों पर शोध्य किसी आय के संग्रहण का पर्यवेक्षण करना और न्यास विलेख के अनुसार तथा प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार हिताधिकारियों के लिए न्यास को प्राप्त कोई आय धारण करना और कर के प्रतिदाय का दावा करना ;

(ट) पेंशन निधियों से कोई ऐसी आस्ति अंजित नहीं करना, जिसमें कोई ऐसे दायित्व की धारणा अंतर्वलित हो जिसका परिणाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके अभिदाताओं की संपत्ति का, किसी प्रकार से अधिभार हो ;

(ठ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन, जिसके अंतर्गत पेंशन निधि, न्यासी बैंक, केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, संकलनकर्ता, उपस्थिति अस्तित्व, अभिरक्षकया वार्षिकी सेवा प्रदाता सहित कोई अन्य व्यक्ति भी है, मध्यवर्तियों के साथ सभी परिचालन करार निष्पादित करना ;

(ड) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन निधियों का प्रबंधन अधिनियम, न्यास विलेख और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा जारी किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार किया जाए, पूरी सत्तकता बरतने का कर्तव्य ;

(ढ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यासी बोर्ड द्वारा अपनी बैठकों में लिए गए विनिश्चयों और बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा । न्यासी, अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट आचार सहित का पालन करेंगे ;

(ण) यह पेंशन निधियों और अन्य मध्यवर्तियों को कमियों के बारे में लिखित रूप में संसूचित करेगा और ऐसी कमियों को सुधारने के लिए जांच पड़ताल भी करेगा ;

(त) यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यवर्ती अपने कार्यकलाप, प्रवृत्त विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों, अधिसूचनाओं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और ऐसे मध्यवर्तियों के बीच निष्पादित कार्य संबंधी करारों के अनुसार संचालित करें ;

(थ) जहां तक यह विश्वास करने का कारण है कि मध्यवर्तियों का कार्य संचालन खंड (त) के अनुसार नहीं हो रहा है, वहां वह तुरंत ऐसे उपचारी उपाय करेगा, जो आवश्यक हों और तुरंत प्राधिकरण को व्यक्तिक्रम और उसके पश्चात् की गई कारबाई के बारे में सूचित करेगा;

(द) वह अनुपालन स्कीम का पुनर्विलोकन करेगा और निरंतर पेंशन निधियों द्वारा किए गए किन्हीं या सभी संव्यवहारों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों के साथ अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ;

(ध) यह और पेंशन निधि, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से कोई विनिधान प्रबंध करार और ऐसे अन्य करार, जो अभिदाताओं के हित के संरक्षण और जानकारी के लिए आवश्यक समझे जाएं, करेगी ;

(न) यह ऐसे न्यासी बैंक और अभिरक्षक के साथ, जो अभिदाताओं की ओर से आवश्यक समझे जाएं, खाते खोलेगा और उनका संचालन करेगा ;

(प) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संबंधी सूचना का और इसके प्रयोजन के लिए प्राधिकरण से निधि प्राप्त कर सकेगी, प्रचार और प्रसार करना ;

(फ) अन्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्यवर्तियों के साथ पारस्परिक संबंधों द्वारा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित करना;

(ब) यह, लिखित अनुमोदन के माध्यम से, अभिदाताओं के फायदे के लिए विधिक परामर्श देने, अधिवक्ता नियुक्त करने और उनसे विचार-विमर्श करने जैसे कार्यकलापों पर पूर्व निर्धारित रकम खर्च करने के लिए किसी मध्यवर्ती को प्राधिकृत कर सकेगा। इसे उस बैठक के दौरान, जिसमें ऐसे अनुमोदन की कार्यसूची प्रस्तुत की जाती है, प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे प्राधिकरण के लिए कारण अभिलिखित करने होंगे;

(भ) यह मध्यवर्तियों के लिए ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय का अनुमोदन कर सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए;

(म) यह प्राधिकरण को तिमाही आधार पर निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,--

(i) न्यास के कार्यकलापों की रिपोर्ट;

(ii) ऐसा कथन करते हुए प्रमाणपत्र कि उसने अपनी संतुष्टि कर ली है कि किसी न्यासी, निदेशकों या पेंशन निधि के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा स्वयं व्यवहार या फायदे का कोई उद्धरण नहीं है।

(iii) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि पेंशन निधियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किन्हीं अन्य कार्यकलापों द्वारा स्कीम का प्रबंध किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिदाताओं का हित सुरक्षित है, पेंशन निधि ने पर्याप्त उपाय किए हैं;

(iv) अपवाद रिपोर्ट; और

(v) बदलाव होने पर अग्रिम कार्रवाई की सिफारिशें;

प्राधिकरण, मासिक रूप से ऐसी सूचना की मांग कर सकेगा, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दी जाएगी;

(य) अभिदाताओं को सुस्पष्ट साधारण भाषा में स्कीम की विनिधान नीतियों, विनिधान संबंधी उद्देश्य, वित्तीय स्थिति और साधारण वातों के बारे में पर्याप्त, सही, सुस्पष्ट और समय से सूचना से प्रसार को सुनिश्चित करना;

(यक) यह सुनिश्चित करना कि सभी मध्यवर्ती राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कार्यकलापों से संबंधित बैंक खाते और अन्य लेखा-पुस्तकों का अलग-अलग अनुरक्षण करें;

(यख) यह अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार निधियों के लेन देन के प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए न्यासी बैंक को प्राधिकृत करेगा;

(यग) यह ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन में और अभिदाताओं के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने में सम्यक् तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करे तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के बीच करार के निवंधन और शर्तों का पालन करे;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि उपस्थिति अस्तित्व और संकलनकर्ता अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन में और अभिदाताओं के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने में सभी सम्यक् तत्परता और सतर्कता बरते तथा, यथास्थिति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और ऐसे मध्यवर्तियों के बीच करार के निवंधन और शर्तों का पालन करे।

13. साधारण और विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता—(1) न्यासी बोर्ड, निम्नलिखित सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) यदि अपर्याप्त अनियमितताएं देखी जाती हैं तो यह पेंशन निधि को जारी रखने की वांछनीयता का पुनर्विलोकन करेगी और प्राधिकरण को अपने विचारों की सिफारिश करेगी;

(ख) यह ये सुनिश्चित करेगा कि न्यास संपत्ति का उचित व्यक्तियों द्वारा और ऐसे व्यक्तियों की उचित संख्या द्वारा संरक्षण किया जाए तथा वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित और शासित की जाए;

(ग) यह कार्य और सेवा स्तरीय करारों की जांच पड़ताल संबंधी कसौटी की व्यवस्था करेगा;

(घ) यह घरेलू पेंशन निधि उद्योग में किन्हीं विशेष विकासों की प्राधिकरण को तुरंत रिपोर्ट करेगा।

(2) न्यासी बोर्ड निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) न्यासियों और मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों से नियमित अंतरालों में आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट अभिप्राप्त करना;

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सभी मध्यवर्तियों से नियमित अंतरालों पर अनुपालन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना;

(ग) कालिक रूप से न्यासियों की बैठकें आयोजित करना;

(घ) न्यासियों की बैठकों पर समुचित कार्रवाई के लिए संपरीक्षक रिपोर्टों और सभी मध्यवर्तियों की अनुपालन रिपोर्टों पर विचार करना;

(ङ) न्यासियों की बैठकों में उनके विनिश्चय का और बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख रखना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन संस्थाओं द्वारा आचार संहिता का पालन किया जाए ;
 (छ) सभी मध्यवर्तियों को लिखित में कमियों और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए संसूचित करना ।

अध्याय 4

लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण

14. लेखाओं का अनुरक्षण—(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यास उनके अतिरिक्त, जो कानूनी रूप से अनुरक्षण किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, ऐसी पुस्तकों और लेखाओं का अनुरक्षण करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी सनदी लेखाकार द्वारा, ऐसी रीति से, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाए, अपने लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगा।

(2) न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की संपत्तियों के प्रबंधन के दौरान या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उद्देश्यों और प्रयोजन तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की संपत्तियों से संबंधित सभी आस्तियों और दायित्वों को कार्यान्वित करने में प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशियों का और उसकी बाबत सभी विषयों का सही और ठीक लेखा देगा।

(3) न्यासी बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में संपरीक्षित लेखाओं की प्रति के साथ उसकी एक प्रति, उस क्लेण्टर वर्ष की 31 जुलाई के अपश्चात् प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास निम्नलिखित की बाबत लेखा पुस्तकों और अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा,--

(i) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास साधारण प्रशासन लेखा" के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई और व्यय की गई सभी धनराशियां और ऐसे विषय, जिनकी बाबत प्राप्ति और व्यय किया गया है ;

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की आस्तियां और दायित्व ;

(iii) न्यासियों की बैठकों के कार्यवृत्त ;

(iv) पेंशन निधि द्वारा अनुमोदित और न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित पेंशन निधि योजनाओं की संपरीक्षित रिपोर्टें ;

(v) न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित समेकित स्कीम लेखे ;

(vi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मध्यवर्तियों को प्राप्त उन्हें भेजे गए दस्तावेजों या अभिलेखों का रजिस्टर।

अध्याय 5

निरीक्षण और संपरीक्षा

15. निरीक्षण और संपरीक्षा का अधिकार—(1) अध्याय 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, किसी समय प्रत्यक्ष रूप से अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत इस विनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, जिसके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं, तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत, निम्नलिखित भी हो सकेंगे, अर्थात् :--

(क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा पुस्तकें, अभिलेख, जिनके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं, और दस्तावेजों का इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में अनुरक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यह अभिनिश्चित करना कि क्या यथोचित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों को स्थापित किया गया है और क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं के उपबंधों का पालन किया जा रहा है ;

(घ) अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों, मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से किसी ऐसे विषय पर, जो प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को संपूर्ण रूप से संबंधित हैं, प्राप्त शिकायतों की जांच करना ;

(ङ) ऐसे विषयों में, जो अभिदाताओं के हित में ठीक समझे जाएं, स्वप्रेरणा से जांच करना ।

(3) प्राधिकरण, उप विनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या संपरीक्षा कराने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत प्रतिनिधि या अर्हक संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उप विनियम के प्रयोजनों के लिए, "अर्हक संपरीक्षक" पद का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 में उसका है।

(4) प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित सभी सूचना, दस्तावेजों, अभिलेख और अपने कब्जे वाली प्रणालियों और अपनी सेवाओं के प्रति युक्तियुक्त पहुंच उपलब्ध करवाएगा और कर्मचारियों, उपठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अभिकर्ताओं से निरीक्षण या संपरीक्षा के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित कोई दस्तावेज, अभिलेख और प्रणाली को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रेरित करेगा और निरीक्षण या संपरीक्षा के संबंध में युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(5) संपरीक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट से उद्भूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सम्मिलित किए जाने के लिए कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन को, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा साठ दिन के भीतर प्रभावी किया जाएगा और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा तथा अपेक्षित परिवर्तन या संशोधन को प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित परिवर्तन नियंत्रण टिप्पण प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित किया जाएगा ।

16. निरीक्षण या संपरीक्षा से पूर्व सूचना—विनियम 15 के अधीन कोई निरीक्षण या संपरीक्षा करने के पूर्व प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दस कार्य दिवस की सूचना देगा या यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा निरीक्षण या संपरीक्षा अपेक्षित है तो किसी पूर्व सूचना के बगैर ऐसा निरीक्षण या संपरीक्षा की जा सकेगी ।

17. निरीक्षण या संपरीक्षा पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की बाध्यताएं—(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रत्येक न्यासी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को, अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, जिसके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, और दस्तावेजों को ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, प्रस्तुत करे और प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और सूचना दे, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए ।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, जिसके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, और दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए, युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक की राय में निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हों, उपलब्ध कराएगा ।

(3) प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक, निरीक्षण या संपरीक्षा के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के किसी न्यासी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कर्मचारी के कथनों की परीक्षा करने या अभिलिखित करने के हकदार होंगे ।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रत्येक न्यासी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को निरीक्षण या संपरीक्षा के संबंध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करे, जिसकी प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे ।

(5) प्राधिकरण, अहिंसा मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मूल्यांकक को, यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए, निवेश दे सकेगा । इस उप विनियम के अधीन मूल्यांकन का व्यय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा किया जाएगा ।

18. प्राधिकरण को रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना—निरीक्षण या संपरीक्षा के पूरा होने पर, प्राधिकरण को एक प्रस्तुत की जाएगी, जो रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह अभिदाताओं के हित में ठीक और उचित समझे ।

19. निरीक्षण और संपरीक्षा फीस का संदाय—प्राधिकरण, प्रत्यक्ष रूपसे या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किए गए निरीक्षण और संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत ऐसे व्यय वसूल करने का हकदार होगा ।

बध्याय 6

अतिक्रम की दशा में कार्रवाई

20. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अभिहित प्राधिकारी" से विनियम 22 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित सदस्य" से उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकरण का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) "सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना जारी की गई है ।

21. अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन आदि—जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसका कोई अधिकारी या कोई संबंधित व्यक्ति, अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों या उसके अधीन जारी किए गए निवेशों, अनुदेशों या परिपत्रों अथवा न्यास विलेख का उल्लंघन करता है वहां प्राधिकरण, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी किए गए निवेशों, अनुदेशों या परिपत्रों के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, इन विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में ऐसी कार्रवाई कर सकेगा ।

22. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) जहां अभिहित सदस्य को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति ने विनियम 21 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक की है, वहां वह मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिक्रिया अतिक्रमण की वाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं की जाएगी ।

23. सूचना का जारी किया जाना—(1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसा करने के युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी संबंधित व्यक्ति को, उससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न अधिनियम या इन विनियमों के उपबंधों के अधीन कोई कार्रवाई की जाए, उसे एक सूचना जारी करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अतिक्रमण को अधिनियम, विनियमों, निदेशों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्शित करते हुए, जिनकी बाबत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका अभ्यारोप करने में अवलंब लिया गया है और दस्तावेज के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्ट, जिनमें किए गए अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिए गए निष्कर्ष अंतर्विष्ट हो, उपावद्ध की जाएंगी।

(4) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिन से अनधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

24. सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर—(1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा :

परंतु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा।

(2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर कारण बताओ सूचना का उत्तर नहीं देता है तो अभिहित प्राधिकारी मामले में ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई कर सकेगा और उसके समक्ष उपलब्ध सारवान् तथ्यों के आधार पर ऐसा करने की सिफारिश कर सकेगा।

25. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई—अभिहित प्राधिकारी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात्, जहां तथ्यों से यह अपेक्षित हो, वहां ऐसी कार्रवाई की सिफारिश करते हुए, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के किसी न्यासी या किसी अधिकारी को हटाया जाना या किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती के साथ नियोजित न्यासी या अधिकारी को विवरित करना या सूचना जारी करना भी है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

26. सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया—(1) अभिहित सदस्य, अभिहित प्राधिकारी से उपायों की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी और जिसमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निदेश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो।

(2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा, जो उस उत्तर पर, यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और सूचना का उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास किया जाएगा।

27. अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषय वस्तु सारवान् रूप से समान या समरूप प्रकृति की है, सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के संबंध में एक समान आदेश पारित कर सकेगा।

28. आदेश की संसूचना—(1) इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा।

(2) इन विनियमों के अधीन पारित आदेश की प्रति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अन्य संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

29. शास्ति और अधिनियम—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके किसी अधिकारी या संबंधित किसी व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्याय निर्णायिक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

30. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसका कोई अधिकारी या संबंधित व्यक्ति, यदि अभिहित सदस्य द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट है, अधिनियम की धारा 36 के अधीन प्रतिभूति अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

31. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का प्रतिसंहरण—प्राधिकरण के अनुरोध के सिवाय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अप्रतिसंहरणीय होगा । प्रतिसंहरण की दशा में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की सभी निधियां, आस्तियां और अन्य संपत्तियां, प्राधिकरण द्वारा सूजित किसी अन्य न्यास को अंतरित हो जाएंगी या प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी ।

32. निदेश जारी करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विलेख का संशोधन करने की शक्ति—प्राधिकरण,--

(क) समय-समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के उचित कार्यान्वयन के लिए या किसी ऐसी कठिनाई को, जो उद्भूत हो, दूर करने के प्रयोजन के लिए, आवश्यक समझे ।

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, न्यास विलेख के किसी खंड में ऐसा परिवर्तन, फेरफार, उपांतरण, विखंडन, रद्द करने या जोड़ने का निदेश दे सकेगा, जो वह अभिदाताओं के हित में आवश्यक समझे और न्यासी बोर्ड, प्राधिकरण से, उसमें ऐसे फेरबदल, उपांतरण, रद्दकरण करने या जोड़े जाने को तुरंत प्रभाव देने के लिए निदेश प्राप्त होने पर संशोधित विलेख का निष्पादन करेगा ।

33. न्यास विलेख का संशोधन—न्यास विलेख में कोई संशोधन, संशोधन विलेख द्वारा किया जाएगा, किंतु ऐसे किसी संशोधन से ऐसे किन्हीं न्यासों का प्रतिसंहरण नहीं होगा, जो यहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की निधि या उसके किसी भाग के रूप में घोषित या पुनः आरंभ की गई है, पुनः प्राप्त या अपवर्तित की गई है या जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की निधि को लागू होते हैं ।

34. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों का अभिभावी होना—इन विनियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बोर्ड पर भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबंध वाध्यकर होंगे ।

अध्याय 8

साधारण बाध्यताएं

35. प्रणालियां और प्रक्रियाएं—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास,--

(क) के पास सभी आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं होंगी, जो अन्य मध्यवर्तियों के साथ समन्वय बनाने हेतु समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हो ।

(ख) अपने कर्मचारियों और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिसकी सेवाएं उसने अभिप्राप्त की हैं, किए गए कार्यों या कार्य लोप के लिए उत्तरदायी होगा ।

36. मानीटरी, पुनर्विलोकन, मूल्यांकन और निरीक्षण प्रणालियां तथा नियंत्रण—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास,--

(क) के पास अपने और अन्य मध्यवर्तियों के नियंत्रणों, प्रणालियों और रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करने, मानीटरी करने और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं होंगी ।

(ख) यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और लेखा का निरीक्षण वार्षिक रूप से एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाए और वह विशेषज्ञ, प्राधिकरण को, निरीक्षण की तारीख से एक मास के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

(ग) यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और लेखा का निरीक्षण वार्षिक रूप से एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाए और वह विशेषज्ञ, प्राधिकरण को, निरीक्षण की तारीख से एक मास के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

(घ) अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन पेंशन निधि, अभिरक्षक, न्यासी वैकं या किसी अन्य मध्यवर्ती के साथ किए गए करार के अनुसार अपनी भूमिका और दायित्वों के निर्वहन को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करेगा और उसे बनाए रखेगा तथा उसकी कार्य संबंधी प्रक्रियाएं और प्रणालियां पर्याप्त रूप से दस्तावेजीकृत और कार्य संबंधी मैनुअल द्वारा समर्थित होनी चाहिए ।

37. समनुदेशन का प्रतिषेध—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, अपने कृत्यों को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक समनुदेशित या प्रत्यायोजित नहीं करेगा, जब तक ऐसे व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न किया जाए ।

38. गोपनीयता—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उसे प्राप्त सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा । इसके अतिरिक्त, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उसे प्राप्त सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना की बाबत गोपनीयता बनाए रखेगा । यह, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बगैर, ऐसे डाटा या सूचना को साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय तब के जब विधि की प्रक्रिया के अनुसार ऐसा अपेक्षित हो, प्रस्तुत या साज्जा नहीं करेगा ।

39. सहयोग और समर्थन—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास,--

(क) ऐसे सभी सहयोग को, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के निर्बाध कार्यकरण के लिए आवश्यक है, अन्य मध्यवर्तियों तक विचारित करेगा ।

(ख) प्राधिकरण को या प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित अन्य मध्यवर्तियों को अभिलेखों या डाटा का पूर्ण अंतरण सुनिश्चित करेगा।

40. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति—(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एक ऐसे अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर आने और अभिदाताओं की शिकायतों को दूर करने संबंधी मामलों में अधिनियम, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के उपवंधों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अनुपालन की मानीटरी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण को उसके द्वारा देखे गए किसी अननुपालन की तुरंत और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करेगा।

41. प्रत्यायोजित करने की शक्ति—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का न्यासी बोर्ड, पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा संकल्प कर सकेगी कि इन विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयुक्त शक्तियां, ऐसे विषयों के संबंध में होंगी तथा ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगी जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाएं, ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

42. तारीख 27 फरवरी, 2008 की न्यास विलेख को, उसमें के किन्हीं संशोधनों के साथ, विनियम 3 में निर्दिष्ट न्यास विलेख समझा जाएगा। ऐसी न्यास विलेख, उसके निर्वापित होने तक पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील रहेगी। तारीख 27 फरवरी, 2008 के न्यास विलेख के संशोधनों के साथ, उसके अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां विधिमान्य और आवद्धकर होंगी।

बधाय 9

अन्य पेंशन स्कीमें

43. इस अध्याय के उपवंध, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से भिन्न पेंशन स्कीमों और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य पेंशन स्कीम को लागू होंगे।

44. विनियम 43 में निर्दिष्ट पेंशन स्कीमें एक न्यास के रूप में गठित की जाएंगी और न्यास की लिखत विलेख के रूप में होंगी जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपवंधों के अधीन न्यासियों के पक्ष में प्रायोजक द्वारा निष्पादित और सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएंगी।

45. न्यासियों की अर्हताएं और निर्योग्यताएं ऐसी होंगी, जो विनियम 5 के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यासी बोर्ड की दशा में हैं। न्यासी, विनियम 6 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट न्यासी नहीं रहेंगे।

46. न्यास विलेख में कम से कम इस विनियम के विनियम 4 में उपवंधित और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को लागू न्यास विलेख की निर्देशात्मक अंतर्वस्तुएं अंतर्विष्ट होंगी और न्यासी सभी समयों पर अनुसूची 3 में उपवर्णित आचार संहिता का पालन करेंगे।

47. न्यासियों की शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य और उत्तरदायित्व वे होंगे, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन न्यासी बोर्ड की दशा में लागू होते हैं और इन विनियमों में उपवंधित है सिवाय इसके कि इन विनियमों में यथा उपदर्शित "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास" शब्दों के किसी संदर्भ में "पेंशन स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और उसका अर्थ उस रूप में होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन साधारणतया या विनिर्दिष्टतया मध्यवर्तियों के प्रति नाम से किसी निर्देश को ऐसे मध्यवर्तियों या इकाइयों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से भिन्न पेंशन स्कीमों को सेवा प्रदान कर रहे हैं या करेंगे।

48. ऐसी किसी पेंशन स्कीम में उसके क्रियाकलाप तब तक आरंभ नहीं किए जाएंगे, जब तक कि वह प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो और विद्यमान पेंशन स्कीमें इन विनियमों के और ऐसे कार्य संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगी, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तारीख को प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएं।

अनुसूची 1

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015

[विनियम 5 (2) (छ) देखिए]

न्यासियों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना :

(क) नाम :

(ख) आयु :

(ग) जन्म तारीख :

(घ) अर्हता और अनुभव :

(ङ) व्यवसाय :

(च) किसी प्रायोजक से संबंध या प्रायोजक से सहवद्ध, यदि कोई हो, :

अनुसूची 2

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015

[विनियम 12 (३) देखिए]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन न्यासियों के लिए आचार संहिता

- न्यासी, सद्व्यव्यवूर्वक और न्यास के हिताधिकारियों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे।
- न्यासियों को सूक्ष्मवूद्ध और युक्तियुक्त सावधानी से कार्य करना होगा।
- न्यासियों को कौशल, सक्षमता और तत्परता से कार्य करना होगा।
- न्यासी, परस्पर हित का परिवर्जन करते हुए, अन्य कार्बाइडों के साथ, स्वतंत्रता और वस्तुपरकता बनाए रखेंगे और स्वयं के व्यवहार से प्रविरत रहेंगे।
- न्यासी सभी लागू विधि और नियमों तथा विनियमों का, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, परिपत्र, अधिसूचना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्कीमों के निबंधन भी हैं, पालन करेंगे।
- न्यासी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के सभी हिताधिकारियों के साथ उचित और निष्पक्ष दृष्टि से व्यवहार करेंगे।
- न्यासी, अपने सभी व्यवहारों और अपने कार्य संचालन में उच्च कोटि की ईमानदारी और ऋजुता बनाए रखेंगे।
- न्यासी, सभी समयों पर उच्च कोटि की सेवा करेंगे, सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेंगे, उचित सावधानी सुनिश्चित करेंगे और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करेंगे।
- न्यासी या न्यास के कोई कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तब तक जनसाधारण तक पहुंच बनाने वाले मीडिया में की, चाहे वह वास्तविक हो या अवास्तविक, किसी प्रतिभूति के बारे में विनिधान की सलाह नहीं देगा, जब तक वह, ऐसी सलाह देते समय, उक्त प्रतिभूति में दीर्घकालिक या अल्पकालिक स्थिति सहित अपने हित को प्रकट न करे।
- न्यासी, राष्ट्रीय न्यास प्रणाली न्यास के नियंत्रणाधीन सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखेंगे।
- न्यासी, राष्ट्रीय न्यास प्रणाली न्यास की भूमिका के अनुसार, प्राधिकरण के साथ, समय से, यथार्थ और पारदर्शित रीति में संपर्क करेंगे।

अनुसूची 3

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015

[विनियम 46 देखिए]

अन्य पेंशन प्रणाली के अधीन न्यासियों के लिए आचार संहिता

- न्यासी, सद्व्यव्यवूर्वक और न्यास के हिताधिकारियों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे।
- न्यासियों को सूक्ष्मवूद्ध और युक्तियुक्त सावधानी से कार्य करना होगा।
- न्यासियों को कौशल, सक्षमता और तत्परता से कार्य करना होगा।
- न्यासी, परस्पर हित का परिवर्जन करते हुए, अन्य कार्बाइडों के साथ, स्वतंत्रता और वस्तुपरखता बनाए रखेंगे और स्वयं के व्यवहार से प्रविरत रहेंगे।
- न्यासी सभी लागू विधि और नियमों तथा विनियमों का, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, परिपत्र, अधिसूचना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्कीमों के निबंधन भी हैं, पालन करेंगे।
- न्यासी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के सभी हिताधिकारियों के साथ उचित और निष्पक्ष दृष्टि से व्यवहार करेंगे।
- न्यासी, अपने सभी व्यवहारों और अपने कार्य संचालन में उच्च कोटि की ईमानदारी और ऋजुता बनाए रखेंगे।
- न्यासी, सभी समयों पर उच्च कोटि की सेवा करेंगे, सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेंगे, उचित सावधानी सुनिश्चित करेंगे और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करेंगे।
- न्यासी या न्यास के कोई कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तब तक जनसाधारण तक पहुंच बनाने वाले मीडिया में की, चाहे वह वास्तविक हो या अवास्तविक, किसी प्रतिभूति के बारे में विनिधान की सलाह नहीं देगा, जब तक वह, ऐसी सलाह देते समय, उक्त प्रतिभूति में दीर्घकालिक या अल्पकालिक स्थिति सहित अपने हित को प्रकट न करे।
- न्यासी, राष्ट्रीय न्यास प्रणाली न्यास के नियंत्रणाधीन सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखेंगे।
- न्यासी, राष्ट्रीय न्यास प्रणाली न्यास की भूमिका के अनुसार, प्राधिकरण के साथ, समय से, यथार्थ और पारदर्शित रीति में संपर्क करेंगे।

हेमंत जी. काट्रेकर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./203/14]

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2015

Pension Fund Regulatory And Development Authority (National Pension System Trust) Regulations 2015

No. PFRDA/12/RGL/5—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (e), (o) and clause (v) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015.

The aim of the regulations is to lay down the appointment of the Board of Trustees of the National Pension System Trust and for pension schemes under sub-clause (b) of sub-section(1) of Section 12 of the Act and to define their role and responsibilities, powers and functions to be exercised in relation to the affairs of such Trust vis-à-vis other intermediaries, for protection of interest of the subscribers.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b)“auditor” means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) “company” means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(d) “compliance officer” means a person of responsibility from the National Pension System Trust; designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by it of the requirements of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority thereunder;

(e) “charges” shall include charges and any other levies payable by the subscriber to the intermediaries under the National Pension System as may be determined by the Authority from time to time.;

(f) “investment guidelines” mean guidelines and circulars issued by the Authority from time to time with regard to permissible asset classes, permissible investment and concentration limits;

(g) “Schedule” means any of the schedules annexed to these regulations;

(h) “trustees” means the Board of Trustees appointed to the National Pension System Trust from time to time or the trustees appointed in relation to other pension schemes covered under these regulations.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

**CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST
AND APPOINTMENT OF TRUSTEES**

3. Establishment of National Pension System Trust.- There shall be established a trust to be known as the National Pension System Trust and the instrument of trust shall be in the form of a Trust Deed duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), executed by the Authority in favour of the trustees named in such an instrument. The trust deed executed in favour of the trustees shall be deemed as the registration granted to the National Pension System Trust, as an intermediary, under the provisions of the Act and these regulations.

4. Contents of Trust Deed.- (1) The Trust Deed shall contain the following particulars and indicative contents, namely:-

(a) the preamble-specifying the background or objective of the trust-stating the rights of the subscribers and the manner in which these rights are vested in the trustees and particulars of the settlor and trustees, including the numbers of trustees;

(b) the powers and functions of the Board of Trustees;

(c) duties and responsibilities of the Board of Trustees.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Trust Deed shall contain the following clauses, namely:-

(a) the Board of Trustees’ responsibility with regard to maintenance of third-party confidentiality of material information in its possession;

(b) the responsibilities of the Board of Trustees with regard to taking of action on reports submitted by the intermediaries in order to ensure compliance with the regulations applicable to them under the National Pension System;

(c) provisions requiring all trustees to disclose, the particulars of interest which they may have in any other company or institution or a body corporate by virtue of their position as director, partner or in any other capacity;

- (d) maintain an arms' length relationship with other companies or institutions or intermediaries or any entity with which he or she may be associated;
- (e) provision to the effect that a trustee not to participate in the meetings of the Board of Trustees when any decisions are being taken in which he or she may have a beneficial interest;
- (f) the Board of Trustees to have effective control over assets of the subscriber under the National Pension System or if so directed by the Authority in any other pension scheme governed by the provisions of the Act;
- (g) the subscribers to have beneficial interest in the assets of the trust limited to the extent of their individual holding in the subscribed schemes;
- (h) provision to the effect that the duty of the Board of Trustees shall be to act at all times in the interest of the subscribers and cause to provide the required information, excluding information which is of commercial importance or confidential in nature, to the subscribers;
- (i) the Board of Trustees to recommend to the Authority for taking suitable measures against any intermediary for violation of the Act, rules and regulations, which comes to its notice;
- (j) the National Pension System Trust shall be responsible for monitoring and evaluation of all operational and service level activities of all intermediaries including government nodal offices and such other entity or person connected with collection, management and recordkeeping and distribution of accumulations, under the National Pension System, in accordance with the provisions of the Act or the regulations made or guidelines or circulars issued by the Authority;
- (k) the National Pension System Trust shall be responsible for receiving, processing and settlement of claims made by the subscribers upon exit from National Pension System. The National Pension System Trust may delegate the activities of receiving and processing of such claims made by the subscribers upon exit from National Pension System to any other intermediary registered with the Authority, with the previous approval of the Authority;
- (l) the National Pension System Trust shall be the nodal point for co-ordination of the operations of all intermediaries;
- (m) explicitly forbidding of assumption of any unlimited liability or that which would result in encumbrance of the property vested in the Board of Trustees in any way;
- (n) provision to ensure that removal of a trustee of the National Pension System Trust, in all cases, shall be decided by the Authority;
- (o) provisions specifying the quorum and frequency of the meetings of the Board of Trustees;
- (p) the responsibility of the Board of Trustees to supervise the collection of any income due on assets held in the name of the National Pension System Trust and for claiming any repayment of tax and holding any income received in trust for the holders in accordance with the Trust Deed and regulations;
- (q) provisions for the terms of payment of fees to the trustees;
- (r) provision to the effect that amendment to the Trust Deed shall be carried as and when so directed by the Authority;
- (s) the Trust Deed shall not contain any clause which has the effect of—
 - (i) limiting or extinguishing the obligations and liabilities of a trustee in relation to the subscribers under the Act; or
 - (ii) indemnifying the trustees for loss or damage caused to the subscriber by the trustees' acts of negligence or acts of commission or omission.

5. Eligibility for appointment as trustees.—(1) The Authority shall appoint trustees to the Board of National Pension System Trust in accordance with these regulations.

(2) No person shall be eligible to be appointed as a trustee of the Board of Trustees of the National Pension System Trust unless—

- (a) he or she is a citizen of India;
- (b) he or she is a person of ability, integrity and standing;
- (c) has not been found guilty of moral turpitude;
- (d) has not been convicted of any economic offence or violation of any securities laws;
- (e) suitably qualified, with sufficient education in law or finance or economics or accountancy or social welfare or administration with proven management skill, experience, capacity integrity and reputation;
- (f) any other qualifications or terms and conditions including age limit that may be specified by the Authority from time to time; and
- (g) has furnished particulars as specified in Schedule I.

(3) No intermediary under the National Pension System, sponsor or no director (other than independent director), officer or employee of such intermediary, or sponsor shall be eligible to be appointed as a trustee of the trust.

(4) No person who is appointed as a trustee of the Board of Trustees of the National Pension System Trust shall be eligible to be appointed as a trustee of any other pension trust, or as director of any of the intermediaries registered with the Authority or its sponsor.

6. Cessation of office of trustee.—The office of a trustee shall be treated as vacated if he or she—

- (i) dies;
- (ii) resigns;

- (iii) ceases to hold the office by virtue of which he or she was appointed as a trustee;
- (iv) becomes insane;
- (v) becomes bankrupt or insolvent;
- (vi) becomes infirm or incapable of functioning due to ill health;
- (vii) is convicted of any offence involving moral turpitude;
- (viii) does not attend two consecutive meetings of the trust, without obtaining leave of absence. However, this may be condonable at the discretion of the Authority for valid reasons to be recorded in writing; or
- (ix) any other ground in the opinion of the Authority, which warrants such removal.

7. Term of office of trustees.- (1) Every trustee shall be appointed by the Authority for a term of three years which may, if the Authority deems fit, be extended not more than two years.

(2) No trustee shall continue to hold office of a trustee or be eligible to be appointed as a trustee beyond the completion of a total period of five years as a trustee from the date of his or her first appointment as trustee of the National pension System Trust.

8. Resignation and removal of trustees.- (1) Any trustee may, by thirty days notice in writing under his hand addressed to the Authority, resign his or her office. The office of the trustee shall fall vacant from the date on which his or her resignation has been accepted and he or she is relieved by the Authority. A trustee who has resigned, shall not be eligible for appointment as a trustee, for a period of two years from the date of his or her resignation.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Authority shall have the right to remove any trustee and such removal shall be pursuant to reasons to be recorded in writing.

(3) The Authority shall have the powers to fill up any vacancy of the trustees under the National Pension System Trust as and when it occurs. Pending the filling up of any vacancies, the existing Board of Trustees shall have the power to act on behalf of the National Pension System Trust. The Authority shall ensure that the number of trustees do not fall below the minimum number of trustees so specified, at any point of time.

CHAPTER III

OBJECTIVES, MANAGEMENT OF NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST AND RIGHTS,OBLIGATIONS, POWERS AND RESPONSIBILITIES OF TRUSTEE

9. Objectives of National Pension System Trust.- (1) The National Pension System Trust is established for taking care of the assets and funds under the National Pension System in the interest of the subscribers and monitoring and evaluation of all operational and Service level activities under the National Pension System. The Authority may by issuance of appropriate guidelines direct that the National Pension System Trust shall have such other powers and duties in relation to any other pension scheme, referred to in clause(b) of sub-section (1) of section 12 of the Act, as may, in the interest of subscribers, be deemed necessary.

(2) The securities purchased by each pension fund on behalf of, and in the name of the National Pension System Trust must be held in the custodial account of the National Pension System Trust.

(3) Individual National Pension System subscribers shall be the beneficial owners of the National Pension System assets purchased using contribution made by the National Pension System subscribers.

(4) The assets shall comprise cash, securities and any other instruments as specified in the investment guidelines issued by the Authority and held in the name of the National Pension System Trust on behalf of the subscribers.

10. Management of the National Pension System Trust.- (1) The National Pension System Trust shall be managed by a Board of Trustees, consisting of a minimum of five trustees and not more than eleven trustees as may be appointed from time to time by the Authority.

(2) Out of the trustees appointed, one trustee shall be designated by the Authority as Chairperson of the Board of Trustees of the National Pension System Trust. The Chairperson of the National Pension System Trust shall preside over all meetings of the Board of Trustees. At any meeting of the Board of Trustees, if the Chairperson is absent, one of the trustees shall act as the Chairperson of that meeting, provided that the requisite quorum of at least four trustees is present for conducting the meeting. The Board of Trustees may recommend to the Authority for removal of the Chairperson of the National Pension System Trust.

(3) Where the number of trustees, appointed to the National Pension System Trust, at any time fall below eight in number, then three trustees shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Board of Trustees.

(4) All matters which come up before any meeting of the board of trustees of the National Pension System Trust, shall be decided by a majority of votes, by trustees present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson of the National Pension System Trust, or in his absence, a trustee, who is chosen to act as the Chairperson for such meeting, shall have a second or casting vote.

(5) The Authority may appoint a Chief Executive Officer of the National Pension System Trust, who shall not be a trustee of such trust. The Chief Executive Officer shall be suitably qualified, having sufficient education and experience in the field of fund management, finance, law, economics or any other field that may be considered relevant for such post. The Chief Executive Officer shall be responsible for day-to-day administration and management of the National Pension System Trust, subject to the superintendence, direction and control of the Board of Trustees of the National

Pension System Trust. He shall be aided and assisted by the staff of the National Pension System Trust in discharging the affairs of the trust and shall be guided by the Board of Trustees in discharge of his functions. The Chief Executive Officer may also exercise such powers as may be delegated under regulation 41 for the effective discharge of his responsibilities and in achieving the objectives of the trust. The compensation to the Chief Executive Officer shall be determined by the Authority and met by the National Pension System Trust or as the Authority may determine in this behalf.

(6) No decision of the Board of Trustees shall be considered void merely on the ground of the existence of any vacancy in or any defect or irregularity in the constitution of the Board of Trustees.

(7) Every trustee of the Board of Trustees shall furnish to the National Pension System Trust and to the Authority a statement of his or her beneficial and material interest which he or she may have in any other company or institution or body corporate by virtue of his or her position as a director, partner, proprietor, employee or in any other capacity on an annual basis within thirty days of the closing of a financial year.

11. Powers and functions of the Board of Trustees.— (1) Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Board of Trustees of the National Pension System Trust shall have the legal ownership of the trust and the funds, and that the general superintendence, direction and management of the affairs of the trust, and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the trust shall absolutely vest in the Board of Trustees:

Provided that the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the National Pension System Trust.

(2) Without prejudice to the generality of powers and functions of the Board of Trustees to manage and administer the National Pension System Trust, the Board of Trustees shall have the following powers to—

(i) accept any grants, contribution in cash or kind from any person or association of persons, institutions or trust (including the Central Government, State Government, commercial banks, financial institutions, bilateral or multilateral organisations, autonomous organizations, statutory bodies or other like entities) for the furtherance of the objectives of the National Pension System Trust:

Provided that where the grantor is other than the Central Government or the State Government, no grants shall be accepted from such grantor without the previous approval of the Authority;

(ii) borrow from any person, commercial banks, financial institutions, bilateral or multilateral donors, autonomous organizations, statutory bodies, institution or Government or other like bodies, any loans, without encumbering any of the assets of the National Pension System Trust in any manner, and subject to the notifications, circulars or, any directions or guidelines issued, by the Authority in this behalf;

(iii) arrange for or authorize for signing or execution of any agreement, contract, instrument, documents or any other paper required to be signed or executed, on behalf of the trust or Board of Trustees, by the Chief Executive Officer along with any one of the trustees to be nominated in this behalf by the Board of Trustees or in the absence of the Chief Executive Officer by any two trustees to be nominated by the Board of Trustees in this behalf and make the same effective and binding as if the said agreement, contract, instrument or documents or papers were signed by all the trustees;

(iv) appoint or make provisions for appointment of sub-committee of trustees or others to attend to or supervise or conduct specific objectives, scheme or schemes or functions in such manner and subject to such conditions as the Board of Trustees may specify;

(v) authorize one or more trustees of the Board of Trustees to hold any asset or any fund or any investment of the National Pension System Trust subject to the terms of these regulations and also subject to such manners, terms and conditions as the Board of Trustees may specify from time to time:

Provided that the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the National Pension System Trust;

(vi) appoint officers and other staff for implementation or administration of the functions of the trust, and to determine their pay and allowances and other terms and conditions of service, with the prior approval of the Authority;

(vii) engage lawyers, solicitors, chartered accountants, consultants, advisors or any other professional to protect the properties of the National Pension System Trust and safeguard the interests of the National Pension System Trust and its beneficiaries;

(viii) incur expenditure on publicity, dissemination, meetings, seminars, visits, study, consultation or on other similar activities in furtherance of the scheme or schemes of the National Pension System Trust to meet its objectives, within the budgetary provisions approved by the Authority;

(ix) join, co-operate, amalgamate, any other trust having allied or related objectives with the National Pension System Trust, with prior approval of the Authority;

(x) monitor the activities of, and issue instructions to, the custodian not to assign, transfer, hypothecate, pledge, lend or otherwise dispose of any assets or property of the National Pension System Trust;

(xi) monitor and audit, the operational activities of and call for any information or reports from all intermediaries and issue instructions for protecting the interests of the beneficiaries;

(xii) appoint a panel of auditors to undertake scheme audits of each pension fund. The Board of Trustees shall also obtain internal audit reports at regular intervals from the auditors appointed by the intermediaries under National Pension

System. The reports of the auditor appointed by the Board of Trustee and internal audit reports or compliance reports of the intermediaries shall be considered at the meetings of the Board of Trustees for appropriate action;

(xiii) obtain compliance certificates at regular intervals from the pension funds, points of presence, Aggregators, Trustee Bank, custodians, central recordkeeping agencies and other intermediaries in the formats and within the period or periods specified by the Authority and submit exception report to the Authority;

(xiv) institute, conduct, compound or withdraw any legal proceedings for or on behalf of or in the name of the National Pension System Trust or the trustees, and to defend, compound or otherwise deal with any such proceedings against the National Pension System Trust or trustees or any of the officers of the National Pension System Trust or concerning the affairs of the National Pension System Trust; also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and to any claims or demand by or against the National Pension System Trust and to refer any differences to arbitration and observe and perform any awards thereof. For this purpose the trustees acting together may confer the authorization on any of the trustees or the Chief Executive Officer of the trust, as the case may be;

(xv) make and give receipts, release and other discharges for moneys payable to the National Pension System Trust and for the claims and demands of the National Pension System Trust;

(xvi) pay for all costs, charges and expenses, incidental to the administration of the National Pension System Trust and the management and maintenance of the National Pension System Trust property; the custodian's fees, management fees and any other fees unless specified otherwise by the Authority;

(xvii) approve payment of fees or charges to the intermediaries, as may be decided by the Authority from time to time;

(xviii) arrange for, after approval from the Authority, a suitable indemnity policy for the trustees from an Indian Insurance Company to provide indemnity to trustees for their *bona fide* actions carried out in good faith. The National Pension System Trust may provide for legal and other assistance to the trustees or its officers in case of any disputes or legal proceedings arising out of their *bonafide* actions, taken while acting as trustees;

(xix) do all such other things as may be considered necessary or incidental to the management of the National Pension System Trust for furtherance of its objectives.

12. Obligations, duties, responsibilities and liabilities of Board of Trustees.- The Board of Trustees shall be responsible for the monitoring of the operational and service level functions under the National Pension System or any other pension scheme regulated under the Act, if it is so directed by the Authority. The scope of the National Pension System Trust role shall include activities relating to exit of the subscriber from the National Pension System, redressal of subscriber grievances in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 and other responsibilities, in particular, the following shall be obligations, duties, responsibilities and liabilities of the Board of Trustees, namely:-

(a) the Board of Trustees (hereafter to be referred as it) shall execute the individual pension account [as defined in clause(e) of sub-section (1) of section 2 of the Act] in its name with the subscriber;

(b) it shall be responsible for approving audited scheme financials, internal audit reports, inspection, compliance reports and any other reports, as specified by the Authority, which are to be submitted by the intermediaries to the National Pension System Trust. Such approved scheme and reports shall be presented to the Authority with qualifications and recommendations, if any, made by it;

Provided that the recommendations shall not be binding on the Authority in any manner;

(c) it shall be liable only to the extent of the assets available and funds flows to National Pension System Trust;

(d) no trustee shall be liable for the act, omission, default of any other trustee or for any loss experienced by the National Pension System Trust on account of any error of *bonafide* judgment on his or her part or for any other loss or damage whatsoever that may occur in relation to the execution of his or her duties as a trustee or in relation thereto, unless the same be caused by wilful act or negligence or omission or commission on part of the trustee. Notwithstanding anything contained in these regulations, the trustees shall not be held liable for acts done in good faith if they have exercised adequate due diligence and honesty;

(e) the trustees shall have the benefit of all indemnities conferred upon trustees by the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882);

(f) it shall be its responsibility to carry out its duties and responsibilities and to maintain arms' length relationship with other intermediaries, companies or institutions or bodies corporate with which the trustees may be associated;

(g) it shall be its duty to take into its custody or under its control all the property of the trust, held by intermediaries, in trust for the beneficiaries;

(h) it shall be its duty to act always in the interests of the beneficiaries;

(i) it shall be its duty to provide or cause to provide information to the beneficiaries and the Authority as may be required by the Authority from time to time;

(j) it shall supervise the collection of any income due on assets held in the name of the National Pension System Trust and for claiming any repayment of tax and holding any income received in trust for the beneficiaries in accordance with the Trust Deed and, the regulations, guidelines or directions issued by the Authority;

(k) it shall not acquire any asset out of the pension funds which involves the assumption of any liability which results in encumbrance of the property of the National Pension System Trust or that of the subscribers in any way;

(l) it shall execute all operational agreements with intermediaries under the National Pension System including the pension funds, Trustee Bank, central recordkeeping agency, aggregators, point of presence, custodian or any other person including an annuity service provider;

(m) it shall be its duty to take all care to ensure that the pension funds are managed in accordance with the provisions of the Act, Trust Deed and these regulations, or any guidelines or directions issued by the Authority;

(n) the Chief Executive Officer of the National Pension System Trust shall maintain records of the decisions taken by the Board of Trustees at its meetings and the minutes of the meetings. The trustees shall adhere to a Code of Conduct as specified in Schedule II;

(o) it shall communicate in writing to the pension funds and other intermediaries of the deficiencies and also keep checks on the rectification of such deficiencies;

(p) it shall ensure that the intermediaries are conducting their activities in accordance with the applicable regulations in force and any guidelines, notifications or circulars issued by the Authority and the operational agreements executed between the National Pension System Trust and such intermediaries;

(q) where it has reason to believe that the conduct of business of the intermediary is not in accordance with clause (p), it shall forthwith take such remedial steps as are necessary and shall immediately inform the Authority of the violation and the action taken thereafter;

(r) it shall review the scheme performance and may review any or all transactions carried out by the pension funds on an ongoing basis, and submit exception reports along with its recommendations to the Authority;

(s) it and the pension fund shall, with the prior approval of the Authority enter into an investment management agreement and such other agreements as may be deemed necessary for the protection of subscribers' interest and information;

(t) it shall open and operate accounts with the Trustee Bank, custodian as may be necessary on behalf of the subscribers;

(u) it shall have the duty to disseminate information and provide publicity to National Pension system and for which purpose it may receive funds from the Authority;

(v) its interaction with other National Pension System intermediaries shall be guided by regulations, directions or guidelines issued by the Authority from time to time;

(w) it may, through a written approval, authorize any intermediary to expend a pre-determined amount on activities such as legal counselling, engaging advocates and consulting in the benefit of subscriber interest. It must, during the meeting where the agenda for such approval is placed, record the reason for such authorization in accordance with guidelines laid down by the Authority;

(x) it may approve payment of fees or charges to the intermediaries as may be decided by the Authority from time to time;

(y) it shall furnish to the Authority on quarterly basis—

- (i) report on the activities of the Trust;
- (ii) a certificate stating that it has satisfied itself that there have been no instances of self dealing or front running by any of the trustees, directors and key personnel of the pension fund;
- (iii) a certificate to the effect that the pension funds have been managing the scheme independently of any other activities and that the pension fund has taken adequate steps to ensure that the interest of subscribers are protected;
- (iv) exception reports; and
- (v) recommendations on further course of action on deviations.

The Authority may call for such information on a monthly basis, which shall be furnished by the Chief Executive Officer;

(z) it ensures the dissemination of adequate, accurate, explicit and timely information about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the scheme to the subscribers in a fairly simple language;

(za) it has to ensure that all intermediaries maintain segregated bank account and other books of accounts pertaining to activities under National Pension system;

(zb) it shall authorise the Trustee Bank to act as its agent for the purpose of banking the funds in accordance with the provisions of the Act or the regulations made or guidelines or directions issued by the Authority;

(zc) it shall ensure that the central recordkeeping agency exercises all due diligence and vigilance in carrying out its duties and in protecting the rights and interests of the subscribers and comply with the terms and conditions of the agreement between the National Pension System Trust and the central recordkeeping agency;

(zd) it shall ensure that the point of presence and aggregators exercises all due diligence and vigilance in carrying out its duties and in protecting the rights and interests of the subscribers and comply with the terms and conditions of the agreement between the National Pension System Trust and such intermediaries, as the case may be.

13. General and specific due diligence.- (1) The Board of Trustees shall exercise the following due diligence, namely:-

- (a) it shall review the desirability of continuance of the pension fund if substantial irregularities are observed and recommend to the Authority its observations;
- (b) it shall ensure that the trust property is properly protected, held and administered by the proper persons and by a proper number of such persons;
- (c) it shall arrange for test checks of operational and service level agreements;
- (d) it shall immediately report to the Authority of any special developments in the domestic pension fund industry.

(2) The Board of Trustees shall exercise the following specific due diligence, namely:-

- (a) obtain internal audit reports at regular intervals from auditors appointed by the trustees and the intermediaries;
- (b) obtain compliance certificates at regular intervals from all intermediaries under the National Pension System;
- (c) hold meeting of trustees periodically;
- (d) consider the reports of the auditor and compliance reports of all intermediaries, at the meetings of trustees for appropriate action;
- (e) maintain records of the decisions of the trustees at their meetings and of the minutes of the meetings;
- (f) ensure that the entities under the National Pension System adhere to the code of ethics;
- (g) communicate in writing to all intermediaries of the deficiencies and for rectification of such deficiencies.

CHAPTER IV

ACCOUNTS AND MAINTENANCE OF RECORDS

14. Maintenance of records. - (1) The National Pension System Trust shall maintain such books and accounts in such form and in a manner as may be determined by the Authority, in addition to those that are statutorily required to be maintained. The National Pension System Trust shall cause its accounts to be audited by a chartered accountant on every financial year in such manner as may be directed by the Authority from time to time.

(2) The Board of Trustees shall give true and accurate accounts of all money received and spent and all matters in respect thereof in the course of management of the National Pension System Trust's properties or in relation with carrying out the objectives and purpose of the National Pension System Trust as well as all the assets and liabilities related to the National Pension System Trust's properties.

(3) The Board of Trustees shall, prepare once every year, an annual report of the activities of the National Pension System Trust. A copy of the same along with the copy of the audited accounts at the end of the financial year be furnished to the Authority, not later than July, 31st of the same calendar year.

(4) The National Pension System Trust shall maintain proper books of accounts and records with respect to -

- (i) all sums of money received and expended by it under the " National Pension System Trust General Administration Account" and the matters in respect of which the receipt and expenditure have taken place;
- (ii) the assets and liabilities of the National Pension System Trust;
- (iii) minutes of meetings of trustees;
- (iv) audited reports of pension funds schemes approved by the pension fund and approved by the Board of Trustees;
- (v) consolidated scheme accounts approved by the Board of Trustees;
- (vi) register for documents or records received and sent to the National Pension System intermediaries.

CHAPTER V

INSPECTION AND AUDIT

15. Right to inspection and audit.- (1) Notwithstanding anything contained in Chapter IV, the Authority may, if it considers necessary at any time, undertake directly or through its authorized representative, inspection and audit of the books, accounts, records including telephone records and electronic records and documents of the National Pension System Trust for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,-

- (a) to ensure that the books of account, records including telephone records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;
- (b) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the National Pension System Trust;
- (c) to ascertain whether the provisions of the Actor the regulations made or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;

(d) to inquire into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities assigned by the Authority to the National Pension System Trust;

(e) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.

(3) The Authority may, appoint one or more authorised representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1).

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation, the expression “qualified auditor” shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(4) For the purpose of inspection or audit by the Authority, the National Pension System Trust shall provide reasonable access to all the information, documents, records and systems in its possession relating to the National Pension System and its services and shall also cause employees, subcontractors, suppliers and agents to produce any document, record and system reasonably required for inspection or audit and shall provide reasonable assistance in connection with the inspection or audit.

(5) Any change or amendment required to be incorporated in the systems and procedures, arising out of the audit or inspection report and approved by the Authority, shall be effected within sixty days by the National Pension System Trust and informed to the Authority and required change or amendment shall be effected through the change control note procedure as defined by the Authority.

16. Notice before inspection or audit.—Before undertaking an inspection or audit under the regulation 15, the Authority or its authorised representative or the auditor shall give ten working days notice to the National Pension System Trust or may conduct any inspection or audit without any prior notice if the Authority is satisfied that such inspection or audit is required for safeguarding the interest of the subscribers.

17. Obligations of the National Pension System Trust on inspection or audit.— (1) It shall be the duty of every trustee, Chief Executive Officer, officer and employee of the National Pension System Trust, to produce to the Authority or its authorised representative or auditor such books, accounts, records including telephone records and electronic records and documents in his custody or control and furnish to it or him with such statements and information relating to activities entrusted to it or him by the Authority, as it or he may require, within such reasonable period as may be specified.

(2) The National Pension System Trust shall allow the Authority or its authorised representative or the auditor to have reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records including telephone records and electronic records and documents in the possession of the National Pension System Trust or any such other person and also provide copies of documents or other material which in the opinion of the Authority or its authorised representative or auditor are relevant for the purposes of the inspection or audit.

(3) The Authority or its authorised representative or auditor shall, in the course of inspection or audit, be entitled to examine or record statements of any trustee, Chief Executive officer, or employee of the National Pension System Trust.

(4) It shall be the duty of every trustee, Chief Executive Officer and employee of the National Pension System Trust to give to the Authority or its authorised representative or the auditor all assistance which the Authority or its authorised representative or the auditor may reasonably require in connection with the inspection or audit.

(5) The Authority may appoint a qualified valuer or direct a qualified valuer to be appointed by the National Pension System Trust, if so considered necessary by it. The expenses of valuation under this sub-regulation shall be borne by the National Pension System Trust.

18. Submission of report to the Authority.—On completion of the inspection and audit, a report shall be submitted to the Authority, who shall, after consideration of the report, take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.

19. Payment of inspection and audit fees.—The Authority shall be entitled to recover such expenses incurred by it for the purposes of inspection and audit undertaken directly or through its authorised representative.

CHAPTER VI

ACTION IN CASE OF DEFAULT

20. Definitions.— In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

(a) “designated authority” means an officer of the Authority appointed under regulation 22;

(b) “designated member” means the Chairperson or a whole-time member of the Authority designated for the purpose;

(c) “noticee” means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

21. Contravention of provisions of Act, etc.— Where the National Pension System Trust or any of its officers or any person concerned contravenes any of the provisions of the Act or the regulations made or directions, instructions or circulars issued thereunder or the Trust Deed, the Authority may, without prejudice to any action under the Act or the

regulations made or directions, instructions or circulars issued thereunder or the Trust Deed, by order take such action in the manner provided under these regulations

22. Appointment of designated authority.- (1) Where it appears to the designated member that the National Pension System Trust or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 21 he may appoint an officer not below the rank of Chief General Manager, or any other officer of an equivalent rank as a designated authority.

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

23. Issuance of notice.- (1) The designated authority shall, if he finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the National Pension System Trust or any other concerned person requiring it to show cause as to why any action under the provisions of the Act or these regulations should not be taken.

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the notice indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.

24. Reply by noticee. – (1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *ex parte* recording the reasons for doing so and make his recommendations as the case may be on the basis of material facts available before him.

25. Action in case of default.- After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, rules, regulations, directions or circulars administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending, such action as he may deem fit including removal of any trustee or any officer of the National Pension System Trust, or debarring the trustee or the officer from being employed with any registered intermediary or issuing warning to the notice, as the case may be.

26. Procedure for action on recommendation.- (1) On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, should not be taken.

(2) The noticee may, within twenty one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

27. The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject-matter in question is substantially the same or similar in nature.

28. Intimation of order.- (1) Every report made by a designated authority and every order made by the designated member under these regulations shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the National Pension System Trust or other concerned person and also placed on the website of the Authority.

29. Penalty and adjudication.-The imposition of penalty, if any, on the National Pension System Trust or any officer thereof or any person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

30. Appeals to Securities Appellate Tribunal.-The National Pension System Trust or any officer thereof or any person concerned if aggrieved by any order passed by the designated member may prefer an appeal before the Securities Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 36 of the Act.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

31. Revocation of the National Pension System Trust.-The National Pension System Trust shall be irrevocable, save at the instance of the Authority. In the event of revocation, all the funds, assets and other properties of the National Pension System Trust shall be transferred to another trust created by the Authority or shall vest with the Authority.

32. Power to issue directions and amend the National Pension System Trust Deed.- The Authority,-

- (a) may from time to time, issue such guidelines or directions to the Board of Trustees of the National Pension System Trust as it may consider necessary for the proper implementation of the National Pension System or for the purpose of removing any difficulty which may arise;
- (b) shall direct the National Pension System Trust to alter, vary, modify, rescind, cancel or add to the Trust Deed any clause it may consider necessary in the interest of the subscribers and the Board of Trustees shall execute a deed of amendment on receipt of directions from the Authority to give immediate effect to any such variations, modifications, cancellations or additions thereto.

33. Amendment to the Trust Deed.-Any amendment to the Trust Deed shall be made by a deed of amendment, but such an amendment shall not revoke any of the trusts herein declared or resume, recover or divert the National Pension System Trust's funds or any part thereof or to apply the National Pension System Trust's fund for any purposes other than the purposes of the National Pension System Trust.

34. Provisions of Indian Trust Act, 1882 to override.- Without prejudice to what has been provided in these regulations, the National Pension System Trust and Board of Trustees shall be bound by the provisions of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).

CHAPTER VIII

GENERAL OBLIGATIONS

35. Systems and procedures.- The National Pension System Trust shall,-

- (a) have all the necessary systems and procedures that may be required to enable it to co-ordinate with other intermediaries;
- (b) be responsible for the acts of, or commissions or omissions by, its employees or the persons whose services it has procured.

36. Monitoring, review, evaluating and inspecting systems and controls.-The National Pension System Trust,-

- (a) shall have adequate processes for reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards and that of other intermediaries;
- (b) must take necessary precautions, where its records are kept electronically, to ensure that continuity in recordkeeping is not lost or destroyed and that a sufficient back-up of records is available;
- (c) must ensure that its systems, processes and account be inspected annually by an expert and this expert must forward the inspection report within one month from the date of inspection to the Authority;
- (d) shall establish and maintain adequate infrastructural facilities to be able to discharge its role and responsibilities under the Act, rules and regulations and as per the agreement with pension fund, custodian, Trustee Bank or any other intermediary under the National Pension System, and its operating procedures and systems must be adequately documented and backed by operation manuals.

37. Prohibition of assignment.-The National Pension System Trust shall not assign or delegate its functions to any other person unless such person is authorized by the Authority.

38. Confidentiality.-The National Pension System Trusts shall ensure safety of all the records, data and information received by it under the National Pension System. Further, it shall maintain confidentiality with respect to all records, data and information received by it under the National Pension System. It shall not, without the prior permission of the

Authority, produce or share such data or information as evidence or for any other purpose except as required by the process of law.

39. Co-operation and support.-The National Pension System Trust shall,-

- (a) extend to other intermediaries all such co-operation that is necessary for the smooth functioning of National Pension System;
- (b) ensure the complete transfer of records or data to the Authority or other intermediaries as directed by the Authority.

40. Appointment of compliance officer. -

(1) The National Pension System Trust shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance of provisions of the Act, the rules and the regulations made, and notifications, guidelines and instructions issued by the Authority, matters relating to exit from the National Pension System and for redressal of subscriber grievances.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report any non-compliance observed by him or her to the National Pension System Trust and the Authority.

41. Power to delegate.- The Board of Trustees of the National Pension System Trust may, by a special resolution passed, resolve that the powers exercised by it under these regulation shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the resolution, be exercisable also by the Chief Executive Officer.

42. The trust deed, dated 27th February, 2008, alongwith any amendments thereto, shall be deemed to be the trust deed referred to in regulation 3. Such trust deed shall remain in full force and effect, until extinguished. All actions taken by the National Pension System Trust, under the trust deed dated 27th February, 2008, alongwith amendments thereto, shall remain valid and binding.

CHAPTER IX

OTHER PENSION SCHEMES

43. The provisions of this Chapter shall apply to the pension schemes other than National Pension System and, any other pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act.

44. The pension schemes referred to in regulation 43 shall be constituted in the form of a trust and the instrument of trust shall be in the form of a deed, executed by the sponsor in favour of the trustees and duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908).

45. The qualifications and the disabilities of the trustees shall be as specified in the case of Board of Trustees under the National Pension System under regulation 5. The trustees shall cease to be trustees as specified under regulation 6.

46. The Trust Deed shall contain at least the indicative contents of the Trust deed provided in regulation 4 of this regulation and applicable for the National Pension System Trust and the trustees shall at all times adhere to the code of conduct set out in Schedule III.

47. The trustees shall have the same powers, duties, functions and responsibilities as are applicable in the case of Board of Trustees under the National Pension System, provided in these regulations, excepting that any reference to the words National Pension System Trust as appearing in these regulations shall be substituted with the words "pension scheme" and shall mean as such. Any reference to intermediaries generally or specifically by name under the National Pension System, shall be substituted with such intermediaries or entities as are or shall be rendering services to the pension schemes other than National Pension System.

48. No such pension scheme shall commence its activities unless registered with the Authority and the existing pension schemes shall conform to these regulations and operational guidelines that may be issued by the Authority, on the date to be notified by the Authority.

SCHEDULE I
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST) REGULATIONS, 2015

[See regulation 5 (2) (g)]

Information to be furnished by the Trustees to the Authority:

- (a) Name:
- (b) Age:
- (c) Date of Birth:
- (d) Qualification and Experience:
- (e) Profession:
- (f) Relationship with any sponsor or associate of the sponsor, if any:

SCHEDULE II
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST) REGULATIONS, 2015

[See regulation 12 (n)]

CODE OF CONDUCT FOR TRUSTEES UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM

1. The trustees shall act in good faith and in the best interest of the beneficiaries of the trust.
2. Trustees shall act with prudence and reasonable care.
3. Trustees shall act with skill, competence and diligence.
4. Trustees shall maintain independence and objectivity by, among other actions, avoiding conflict of interest, and refraining from self dealing.
5. Trustees shall abide by all applicable laws and rules and the regulations including the guidelines, circulars, notifications issued by the Authority from time to time and the terms of the National Pension System schemes.
6. Trustees shall deal fairly and objectively with all beneficiaries of the National Pension System Trust.
7. Trustees shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of their business.
8. Trustees shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
9. The trustees or any of the employees of the trust shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.
10. Trustees shall maintain confidentiality of information under the control of the National Pension System Trust.
11. Trustees shall communicate with the Authority and others, as per the role of the National Pension System Trust, in a timely, accurate and transparent manner.

SCHEDULE III
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST) REGULATIONS, 2015

[See regulation 46]

CODE OF CONDUCT FOR TRUSTEES UNDER OTHER PENSION SCHEME

1. The trustees shall act in good faith and in the best interest of the beneficiaries of the trust.
2. Trustees shall act with prudence and reasonable care.
3. Trustees shall act with skill, competence and diligence.
4. Trustees shall maintain independence and objectivity, among other actions, avoiding conflict of interest, and refraining from self dealing.

5. Trustees shall abide by all applicable laws and rules and, the regulations including the guidelines, circulars and notifications issued by the Authority from time to time, and the terms of the pension schemes.
6. Trustees shall deal fairly and objectively with all beneficiaries of the trust.
7. Trustees shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of their business.
8. The trustees shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
9. The trustees or any of the employees of the trust shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.
10. Trustees shall maintain confidentiality of information of the subscribers under the pension scheme.
11. Trustees shall communicate with the Authority and other intermediaries or entities of such pension scheme, in a timely, accurate and transparent manner.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./203/14]